डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web: www.dfccil.gov.in

No. HQ/PIO/RTI/178/15 **Date: 07.05.2015**

Sh. Sunahari Lal,
20, Babar Lane,
First Floor, Bengali Market,
New Delhi-110001.

ED 85305774 6 IN

Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref.: Your application dt.28.02.2015, received in this office on 21.04.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त बिन्दुवार सूचना निम्नलिखित है:–

बिन्दु सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान रेल मन्त्रालय, भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का आबंटन के परियोजना का ब्यौरे के साथ जनपद एवं कार्यस्थल की जानकारी दी जाये?	परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में वर्ष 2011–12 के लिए निर्माण स्थल यूनिट जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद, मुगलसराय तथा सूरत पर इको सेनिटेशन कौशल विकास, प्रशिक्षण दिए गए तथा कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2012–13 में परियोजना प्रभावित क्षेत्रों सूरत, टूंडला/आगरा, इलाहाबाद में कौशल विकास प्रशिक्षण दिए गए। वर्ष 2013–14 में परियोजना प्रभावित क्षेत्रों बडोदरा, नोएडा, टूंडला/आगरा, इलाहाबाद में स्कूलों में कंप्यूटर कराए गए और कौशल विकास प्रशिक्षण दिए गए। वर्ष 2014–15 में सीएसआर की राशि को कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार राशि आबंटित की गयी थी जिसमें स्वच्छता अभियान के तहत् शौचालयों का निर्माण, इको सेनिटेशन, कौशल विकास प्रशिक्षण तथा कंप्यूटर उपलब्ध करवाना के तहत फंड आबंटित किया गया है।
2.	क्या वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान रेल मन्त्रालय, भारत सरकार के उपक्रमों ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 135 के उप–धारा 5 का अवहेलना की है।	वही
3.	यदि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का आबंटन करते समय कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 135 की अनुसूची 7 एवं उप–धारा 5 का जो उलंघ्घन हुआ है तो कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 134 के उप–धारा 3 के खण्ड 'ओ' के तहत नियंत्रक–महालेखापरीक्षक और भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग साई (**Supreme Audit Institution of India**) को दिये गये स्पष्टीकरण का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाये?	वही

4.	रेल मन्त्रालय, से सम्बन्धित कौन–कौन सी गैर सरकारी कम्पनियां है जिन्होंने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का आबंटन वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2014–14 के दौरान किया है। उक्त परियोजना में व्यय राशि का ब्यौरा जनपद एवं कार्यस्थल के पते के साथ दी जाये?	लागू नहीं
5.	रेल मन्त्रालय से किन किन गैर सरकारी कम्पनियां को कितना कितना सब्सिडी दिया गया और सब्सिडी मिली है। ऐसी कम्पनियों ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का आबंटन का ब्यौरा वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2014–15 तक जनपद एवं कार्यस्थल के पते के साथ प्रस्तुत किया जाये?	लागू नहीं
6.	रेल मन्त्रालय में काम करने वाली कम्पनियां **(India's top railway equipment manufacturing companies based on Net Sales for the Financial Year since 2013-14 to 2014-15 along with their spending on CSR)** कौन–कौन सी है। उनका कॉर्पोरेट सामाजिक दयित्व निधि का आबंटन का ब्यौरा जनपद एवं कार्यस्थल के साथ वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक प्रस्तुत किया जाये और यह भी बताया जाये कि किन–किन कम्पनियों ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 135 के अनुसूची 7 एवं उप–धारा 5 का उलंघ्घन किया है?	लागू नहीं
7.	कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 135 के अनुसूची 7 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का आबंटन करते समय रोजगार सृजन से सम्बन्धित व्यावसायिक हुनर, शिक्षा को बढ़ावा, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के कल्याण का जिक्र किया गया है। अतएव इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान रसायन एवं उर्वरक से सम्बन्धित सरकारी कम्पनियों ने क्या क्या और कहाँ कहाँ कार्य किया है, उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाये?	लागू नहीं
8.	क्या यह बात सही है कि जिस राज्य में निगम का कार्यक्षेत्र है, उसी क्षेत्र के आस–पास के विकास के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का आबंटन होना चाहिए।	जानकारी आरटीआई एक्ट के तहत कवर नहीं है।
9.	क्या यह बात सही है कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का 80 प्रतिशत राशि का आबंटन प्रोजेक्ट/कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के 25 किलोमीटर के इर्द–गिर्द हो सकता है	लागू नहीं

(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to:- GM/HR